


| | | |
|---|--|---|
|  सत्यमेव जयते | राजस्थान राज—पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| | साधिकार प्रकाशित | <i>Published by Authority</i> |
| | आश्विन 25, बुधवार, शाके 1934—अक्टूबर 17, 2012 <i>Asvina 25, Wednesday, Saka 1934—October 17, 2012</i> | |

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2012

संख्या प. 2 (38) विधि/2/2012.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 25)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुई]

कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इस अधिनियम का नाम कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 30 अप्रैल, 2012 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 11 का संशोधन -कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.14) की धारा 11 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बासठ वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्तर वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. निरसन और व्यावृत्तियां- (1) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, October 17, 2012

No. F. 2 (38) Vidhi/2/2012.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Kota Vishwavidhyalaya (Sanshodhan) Adhinyam, 2012 (2012 Ka Adhinyam Sankhyank 25):—

(Authorised English Translation)

**THE UNIVERSITY OF KOTA (AMENDMENT) ACT, 2012
(Act No. 25 of 2012)**

[Received the assent of the Governor on the 14th day of October, 2012]

An

Act

to amend the University of Kota Act, 2003.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the University of Kota (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th April, 2012.

2. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 14 of 2003.- In sub-section (2) of section 11 of the University of Kota Act, 2003 (Act No. 14 of 2003), for the existing expression “sixty-two years”, the expression “seventy years” shall be substituted.

3. Repeal and savings.- (1) The University of Kota (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 3 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.